HAMIRPUR POLICE

दिनाँक 17/02/2021 थाना मौदहा

वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 16 मई 2015 को मृतक बिंदादीन उर्फ विंडोला निवासी खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा की हत्या ग्राम भवानी थाना मौदहा में किये जाने के संबंध में थाना मौदहा पर मु0अ0सं0596/15 धारा 302 201 आईपीसी का अभियोग 1-भगवानदिन 2-भाउ और 3-रतिया के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें नामजद तीनों लोग जेल चले गए थे। दिनांक 9/6/2018 को कथित मृतक बिंदादीन को खन्ना पुलिस द्वारा मु0अपराध संख्या 13/18 धारा 395 397 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया तो ज्ञात हुआ कि कथित मृतक जिंदा है इसके अग्रिम विवेचना की जा रही थी, विवेचना से तथ्य पाया गया कि कथित मृतक द्वारा ही एक अज्ञात व्यक्ति को लाकर उसकी हत्या कर दी गयी एवं चेहरा खराब करके उस लाश को योजना के अनुसार अपने परिजनों से शिनाख्त करा कर के अपना नाम दे दिया गया जिससे कथित मृतक उसके ऊपर पंजीकृत मुकदमों के सजा से बच जाये, एवं दुश्मनों को फंसा दिया। इस तथ्य के प्रकाश में आने पर अज्ञात व्यक्ति की हत्या में कथित मृतक बिंदादीन को दिनाँक 11/02/2021 को जेल भेजा गया था। आज दिनाँक 17/2/2021 को अ0सं0-596/2015 धारा-302/201/120बी आईपीसी के वांछित अभियुक्त (घटना में संलिप्त उपरोक्त कथित मृतक के पिता) मंगी पुत्र रतिया को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1)प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार शुक्ला

2)का0 आशीष कुमार

3)म0का0 अनुप्रिया

4)का0 अमित कुमार